

Order Sheet [Contd]

Case No - B.A -408 / .17बी.ए.

| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of presiding | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|-----------------------------|--|--|
| | <p>21.11.2017</p> <p>पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से कार्य विभाजन पत्रक अनुसार प्रकरण मेरे समक्ष पेश।</p> <p>अधिवक्ता श्री के०पी० राठौर द्वारा मय बकालातनामा के एक आवेदनपत्र वास्ते प्रकरण शीघ्रसुनवाई एवं एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 44(2) जा.फौ. का पेश कर निवेदन किया कि आवेदक/आरोपी रामबीर शर्मा प्रकरण में समर्पण करना चाहता है प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिया जावे।</p> <p>विचारोपरांत आवेदनपत्र स्वीकार प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिया गया।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक/आरोपी के विरुद्ध परिवादी म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कम्पनी मालनपुर के द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 138(1)(ख) के अंतर्गत परिवाद पेश किया गया है जिसमें कि आरोपी के विरुद्ध वारंट जारी है। आवेदक/आरोपी प्रकरण में वांछित होने से उसे अभिरक्षा में लिया जाता है। आरोपी का जेल वारंट बनाकर उप जेल गोहद भेजा जावे।</p> <p>परिवादी की ओर से श्री विकास कांकर अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री के०पी०राठौर द्वारा आरोपी का नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फौ. पेश किया गया। जिसकी नकल परिवादी अधिवक्ता को दिलाई गई।</p> <p>आवेदनपत्र विधिवत पंजी में दर्ज किया जावे।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र में निवेदन किया गया है कि आवेदक/आरोपी स्थानीय निवासी है, वह स्वयं न्यायालय में समर्पण हुआ है तथा अपराध मृत्युदण्ड आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। वह प्रत्येक शर्त का पालन करने को तैयार है। इन्हीं आधारों पर जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>परिवादी की ओर से जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते</p> | |

हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आवेदक/आरोपी के विरुद्ध परिवादी विद्युत विभाग ने धारा 138(1)(ख) विद्युत अधिनियम का परिवादपत्र न्यायालय में पेश किया गया है। जिसमें कि आरोपी के द्वारा उसे प्रदत्त विद्युत कनेक्शन पर बिल के रूप में 2,75,748/- रूपए बकाया हो गई थी। उक्त राशि जमा न करने के कारण विभाग द्वारा उक्त कनेक्शन अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था। परंतु उसके पश्चात् निरीक्षण के दौरान दिनांक 23.01.2014 को आरोपी के द्वारा उक्त कनेक्शन को अप्राधिकृत रूप से पुनः मण्डल की लाइन से सीधे तार जोड़कर अवैध रूप से विद्युत का उपयोग करते पाया गया था, जिस संबंध में कार्यवाही करते हुए यह परिवादपत्र उसके विरुद्ध 17.02.2014 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें कि वर्तमान तक आरोपी उपस्थित नहीं है और उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा रहा है। आरोपी ने आज स्वयं न्यायालय में समर्पण किया है। प्रकरण अभी प्रारंभिक स्टेज पर है जिसके निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसी दशा में आवेदक/आरोपी की ओर से 20,000/- (बीस हजार रुपये) रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश किये जाने पर उसे नियमित जमानत पर छोड़ा जाये।

प्रकरण में आरोप तर्क हेतु नियत किया जाता है।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु पूर्ववत दिनांक 12.12.2017 को पेश हो।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
वास्ते- विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0